सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कार्यक्रम केवल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए है?	हां, यह केवल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स के लिए है।
2.	क्या दोनों कार्यक्रमों में नामांकन के लिए कोई न्यूनतम योग्यता मानदंड है?	नहीं, कोई निर्धारित मानदंड नहीं है। सभी उद्यमी आवेदकों के लिए कार्यक्रम खुला है।
3.	क्या आवेदक के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा है?	अधिकतम आयु सीमा नहीं है। परन्तु आवेदक नाबालिग नहीं होना चाहिए।
4.	क्या दो महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है?	हां, प्रशिक्षण दोनों कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा है और इसमें भाग लेना भी अनिवार्य है।
5.	क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टार्टअप के मालिक का भाग लेना अनिवार्य है या उसके स्थान पर कोई अन्य टीम का सदस्य भाग ले सकता है?	संस्थापक या उनके कोर टीम के सदस्यों में से कोई भी प्रशिक्षण में भाग ले सकता है। परन्तु यह सुझाव है कि संस्थापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें।
6.	फंडिंग प्रक्रिया क्या होगी?	दो महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, NABI वित्त पोषण के लिए चयनित स्टार्टअप के प्रस्ताव को मंत्रालय को भेजेगा।
7.	क्या केवल नए विचार आमंत्रित हैं?	एग्री और संबद्ध क्षेत्र में कोई भी विचार / उद्यम जो स्टार्टअप की डीआईपीपी परिभाषा को संतुष्ट करता है, आवेदन करने के लिए पात्र है
8.	किस तरीके से स्टाइफंड प्रदान किया जाएगा (चेक / नकद / सीधे खाते में)?	यह प्रतिभागी के नाम पर चेक या एनईएफटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
9.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान क्या होगा?	प्रशिक्षण सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर, राजस्थान में होगा, ।
10.	कार्यक्रम के तहत धन का स्रोत क्या है?	चयनित स्टार्ट-अप्स और एग्रीप्रेन्योर के लिए अनुदान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से NABI के माध्यम से आएगा ।

11.	स्टार्ट-अप की परिभाषा क्या है?	हम इस कार्यक्रम के लिए DIPP द्वारा दी गई स्टार्टटप की परिभाषा को मानते है।
12.	क्या क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा?	प्रशिक्षण हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया जाएगा
13.	क्या स्टार्टअप जो पंजीकृत नहीं है लेकिन परिचालन में है, भाग ले सकता है?	हां, वे भाग ले सकते हैं। हालांकि, उन्हें धन के लिए पात्र होने के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी
14.	क्या कार्यक्रम केवल कृषि की पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए है?	किसी भी शिक्षाविद पृष्ठभूमि के आवेदक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसका / उसकी परियोजना के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र होना चाहिए।
15..	सहायता अनुदान के लिए चयनित होने के क्या मानदंड हैं?	ऐसे प्रतिभागीयों को चयनित किया जायेगा जिन्होने दो माह की अवधि में कुछ वृद्धि दिखाई है और एनएबीआई की आन्तरिक समिति के मापदण्डों पर खड़े हो सकेगें ।
16..	जिस व्यक्ति ने ऐसा प्रशिक्षण पहले भी लिया हो, क्या यह दो माह का प्रशिक्षण उसके लिये भी, अनिवार्य है?	हां, दो माह के प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य हैं।
17..	क्या आवेदक को वित्तीय सहायता के रूप में परियोजना लागत का 100% प्राप्त होगा?	एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत चयनित आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप में परियोजना लागत का 90% (अधिकतम रु 5 लाख) प्राप्त होगा, जबकि स्टार्टअप एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत चयनित आवेदकों को वित्तीय सहायता (अधिकतम 25 लाख रुपये) के रूप में परियोजना लागत का 85% प्राप्त होगा।
18..	फंड वितरण के चरण क्या होंगे?	फंड 40%, 40% और 20% के तीन चरणों में चयनित स्टार्टअप को वितरित किया जाएगा।